कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / मु.चि.अ. / 2021 / 5400 राजनांदगांव, दिनांक 09/02/2021

// संशोधन सूचना //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई / स्वास्थ्य विभाग हेतु वाहन किराये पर लिये जाने हेतु पूर्व में आमंत्रित निविदा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. नियम व शर्ते क्रमांक-05 : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मासिक आधार पर (पेट्रोल एवं डीजल तथा वाहन चालक सहित) वाहन किराये की अधिकतम स्वीकृत दर रूपये 39500/- है। इससे अधिक दर पर स्वीकार्य नहीं होगा।
2. नियम व शर्ते क्रमांक-20 : मासिक आधार पर वाहन अनुबंध निविदा हेतु ट्रेवल एजेन्सी को 30 दिवस के आधार पर निविदा आवेदन करनी होगी।
3. नियम व शर्ते क्रमांक-22 :- प्रतिमाह 3000 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. 10 रूपये की दर से भुगतान किया जा सकेगा।
4. नियम व शर्ते क्रमांक-27 : आवेदनकर्ता फर्म अथवा फर्म के मालिक अथवा परिवार (माता, पिता, पत्नी, बच्चों, भाई बहिन) के नाम हल्के मध्यम वाहन बोलेरो, सुमों, महिन्द्रा टी.यू.व्ही.300, इन्नोवा, क्रिस्टा, स्कॉर्पियो, क्रेटा, ब्रीजा, ऑर्टिगा, सल्टोस, आई-20 आदि 20 वाहन होना अनिवार्य होगा। केवल माल वाहक वाहनों की उपलब्धता की स्थिति निविदा पत्र स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे।
5. नियम व शर्ते क्रमांक-40 : इसके अंतर्गत बिंदु क्रमांक 08 के तहत् तकनीकी मूल्यांकन हेतु फर्म के नाम अथवा प्रापाईटर / मालिक के नाम पर न्यूनतम 02 वाहनों का टैक्सी परमिट रजिस्ट्रेशन प्रमाण की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा पत्र के वित्तीय दर भरे जाने वाले प्रारूप के टेबल के कॉलम क्रमांक 04, 06, 08 एवं 10 में प्रति कि.मी. फ्यूल चार्ज के स्थान पर प्रति कि.मी. फ्यूल दर पढा जावे।

अतः उपरोक्तानुसार कंडिकाओं में संशोधन करते हुए संशोधित बिन्दुओं के साथ निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में 15 दिवस वृद्धि करते हुए दिनांक 27.02.2021 अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है।

(अपर कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

9/2/21

9/2/21